

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी- श्री ओपीओ बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 15/2015

प्रार्थी

भूराराम गोदारा
खाध सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी

कैलाशनाथ पुत्र शंकरलाल
जाति स्वामी निवासी सिवाना
(मै. सुमन आईसकेंडी सिवाना)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II) एवं धारा 51 व 64 खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011


उपस्थित:-1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर प्रार्थी की ओर से
2. श्री राजेन्द्र शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 27.6.2016


1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 15.05.2015 को प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी द्वारा दौराने गश्त जरिये सरकारी वाहन मैसर्स सुमन कुल्फी पुरोहितो का वास सिवाना दोपहर 12.30 बजे पहुँचने पर फैक्टरी में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला। नाम पता पूछने पर अपना नाम कैलाशनाथ पुत्र शंकरलाल जाति स्वामी निवासी पुरोहितो का वास सिवाना बताया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में मैसर्स सुमन कुल्फी पुरोहितो का वास सिवाना का निरीक्षण करने पर फैक्टरी में कुल्फी के 200 पीस आम जनता को विक्रय करने हेतु पाये गये। कुल्फी में मिलावट का सन्देह होने पर उक्त कुल्फी 200 पीस में से 28 पीस नकद भुगतान कर खरीदी। उक्त 28 पीस को खोलकर एक स्टील की भगोनी, जो कि इसी फैक्टरी में रखी हुई मिली, में डाला तथा हिला-हिलाकर एकरूप कर इसे चार कांच की साफ सुखी व खाली शिशियों में बराबर मात्रा में भरा गया। उक्त प्रत्येक शीशी में 36-36 बूंद फार्मेलिन बतौर प्रिजररेटिव के रूप में डालकर उसके उपर एयरटाईट ढक्कन लगाकर बंद किया गया तथा उसके उपर लेबल चिपकाया, जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये एवं स्लीप कोड एवं सिरियल नम्बर पी.523 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इसके




न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किए, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित किया, इस पर प्रार्थी व गवाहों के पेपर स्लीप को कौंस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाहों एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त कार्यवाही दो गवाहों के रूबरू की गई तथा चारो नमूनों को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। समस्त कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी-523 जाँच हेतु खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील लगाई गई, जिसका प्रयोग सैंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनों को सीलबन्द करने में किया गया एवं आउटर कवर पर, नमूना विवरण अंकित किया गया एवं एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनों के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाद्य पदार्थ कुल्फी नमूना पी-523 की जाँच रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर के क्रमांक एलएस/एलएस/356/एक्ट/2015/356 दिनांक 01.06.2015 से अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर नमूना जाँच में कुल्फी का नमूना पी. 523 निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ कुल्फी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एवं संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5 ए, नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी. 523 जाँच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी





न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अप्रार्थी की ओर से श्री राजेन्द्र शर्मा अधिवक्ता उपस्थित हुए। जिन्होंने प्रकरण को लोक अदालत की भावना से न्यूनतम जुर्माना आरोपित करने का निवेदन किया।
3. हमने दोनो पक्षों को सुना। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 15.5.2015 को निरीक्षण के दौरान मैसर्स सुमन आईसकेंडी सिवाना पहुँचने पर फैक्ट्री का निरीक्षण करने पर फैक्ट्री में 200 कुल्फी के पीस आम जनता को बेचने हेतु रखे हुए पाये गये। उक्त कुल्फियों में मिलावट होने का सन्देह होने पर नियमानुसार नमूना लिया जाकर जांच करवाई गई। जांच के दौरान कुल्फी का नमूना पी. 523 निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard) का होना पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाए।
4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट संख्या एलएस/356एक्ट/2015/356 दिनांक 01.06.2015 के अनुसार अप्रार्थी की कुल्फी को नमूना पी. 523 जांच रिपोर्ट में निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard) का होना पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।
5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी कैलाशनाथ द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) के तहत पाये गये कुल्फी का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard) का रखने एवं बेचने का दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप तथा लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 में अप्रार्थी कैलाशनाथ पर 5000/-अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र शास्ति




न्याय निर्णायन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 27.06.2016 से एक माह के अंदर- अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।



(ओपीओ बिश्नोई)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 27.06.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर